रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072026-274552
CG-DL-E-16072026-274552

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 14, 2026/आषाढ 23, 1948
No. 206] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 14, 2026/ASHADHA 23, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2026

फा. सं. K-31013/1/2026-DIR NAFTA-Part(4)/[E-46765].— समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के 2.04 के साथ पठित पैरा 1.03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा बलपर्वक श्रम का उपयोग करके उत्पादित वस्तुओं के आयात के निर्धारण हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए प्रक्रिया पुस्तक, 2023 में पैरा 2.50क निम्नानुसार शामिल करते हैं:

पैरा 2.50क: आयातित वस्तुओं के उत्पादन में बलपूर्वक श्रम के उपयोग के निर्धारण की प्रक्रिया

1. महानिदेशक विदेश व्यापार (डीजीएफटी), स्वतः संज्ञान से या विश्वसनीय स्रोत द्वारा समर्थित किसी भी सूचना या शिकायत की प्राप्ति पर, यह पता लगाने के लिए जांच कर सकते हैं कि क्या भारत में आयातित कोई भी वस्तु, पूर्ण या आंशिक रूप से, बलपूर्वक श्रम का उपयोग करके उत्पादित की गई है।

2. इस तरह की जांच के प्रयोजनों के लिए, डीजीएफटी आयातक (कों), निर्यातक (कों), निर्माता (ओं) या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण से ऐसी जानकारी, दस्तावेज या स्पष्टीकरण मांग सकता है, जो आवश्यक समझा जाए।

3. जांच के दौरान, डीजीएफटी, संबंधित मंत्रालयों, विभागों या एजेंसियों, या अन्य हितधारकों से परामर्श कर सकता है, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

4. डीजीएफटी, जांच के प्रयोजनों के लिए जहां भी आवश्यक समझा जाए, किसी भी घरेलू या अंतरराष्ट्रीय संगठन, सरकारी प्राधिकरण या विशेषज्ञ निकाय से जानकारी या तकनीकी इनपुट प्राप्त कर सकता है।

5. जांच पूरी होने पर, डीजीएफटी जांच के तहत वस्तुओं के उत्पादन में बलपूर्वक श्रम के उपयोग के संबंध में अपने निष्कर्षों को शामिल करते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगा और विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992, विदेश व्यापार नीति, 2023 के तहत ऐसी वस्तुओं के आयात को निषिद्ध करने की सिफारिशों सहित केंद्र सरकार को उचित सिफारिशें कर सकता है।

2. **<u>इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव</u>:** प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.50क के तहत बलपूर्वक श्रम का उपयोग करके उत्पादित वस्तुओं के आयात के निर्धारण की प्रक्रिया अधिसूचित की जाती है।

लव अग्रवाल,महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

Ministry of Commerce And Industry

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July 2026

F. No. K-31013/1/2026-DIR NAFTA-Part(4)/[E-46765].—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 read with 2.04 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Directorate General of Foreign Trade hereby inserts Para 2.50A in the Handbook of Procedures, 2023 to prescribe the procedure for the determination of imports of goods produced using forced labour, as follows:

"PARA 2.50A: PROCEDURE FOR DETERMINATION OF USE OF FORCED LABOUR IN THE PRODUCTION OF IMPORTED GOODS

1. The Director General of Foreign Trade (DGFT) may, **suo motu** or upon receipt of any information or complaint supported by credible material, undertake an enquiry to ascertain whether any goods imported into India have been produced, wholly or in part, using forced labour.
2. For the purposes of such enquiry, the DGFT may seek such information, documents or clarifications from the importer(s), exporter(s), manufacturer(s) or any other person or authority, as may be considered necessary.
3. During the course of the enquiry, the DGFT may consult the relevant Ministries, Departments or agencies, or other stakeholders, as may be considered necessary.
4. The DGFT may also obtain information or technical inputs from any domestic or international organisation, governmental authority or expert body, wherever considered necessary for the purposes of the enquiry.
5. Upon completion of the enquiry, the DGFT shall prepare a report containing its findings regarding the use of forced labour in the production of the goods under enquiry and may make appropriate recommendations to the Central Government, including recommendations for prohibition of the import of such goods under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, the Foreign Trade Policy, 2023."

2. <u>Effect of this Public Notice</u>:

The Procedure for the determination of imports of goods produced using forced labour is notified under Para 2.50A of HBP 2023.

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.07.16 16:11:52 +05'30'